(4)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक –6/वि॰1–1076/07 – 76 पटना, दिनांक– 17/1/08

प्रेषक,

मदन कुमार,
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

विषय:– विभिन्न विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर से निविदा का निस्तार ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभागीय पत्रांक 6/वि01–1076/2007 – 1600, दिनांक–25.10.07 द्वारा विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन टर्न की आधार पर किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया जा चुका है । उक्त के आलोक में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदाओं में एकरूपता का अभाव के साथ–साथ लोक निर्माण संहिता, स्टैन्डर्ड बीड डकुमेन्ट एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है ।

अतः उदाहरण के तौर पर निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित हुई है जिसका उल्लेख करते हुए निराकरण की ओर भी आपका ध्यान विभाग द्वारा आकृष्ट कराया जा रहा है :–

1. क्षेत्रीय स्तर पर नियमानुसार आमंत्रित निविदा या तो टर्न की आधार पर की जाती है या मदवार । एक ही निविदा में कुछ अंश मद दर पर आधारित रहता है तथा कुछ अंश टर्न की आधार पर । यह कार्य स्टैन्डर्ड बीड डकुमेन्ट के अनुरूप टर्न की एवं मद दरों का समावेश एक साथ किया जाना सर्वथा अनुचित है । इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाय और नियमानुसार हीं निविदा आमंत्रण की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाय ।
2. क्षेत्रीय स्तर से प्रकाशित निविदा में परिमाण विपत्र की प्राप्ति हेतु एक ही तिथि निर्धारित होती है और यह भी निविदा प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि से मात्र एक दिन पूर्व की तिथि अंकित होती है, जो लोक निर्माण संहिता एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के पूर्णतः प्रतिकूल है । नियमानुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से हीं परिमाण विपत्र की बिक्री प्रारंभ हो जानी चाहिए और यह बिक्री निविदा प्राप्ति की तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित होनी चाहिए । अतः निविदा प्रकाशन में इन बातों का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए ।
3. क्षेत्रीय स्तर पर तैयार किए गए परिमाण विपत्र में अंकित दर सामान्यतया योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के समय दिये गये तकनीकी स्वीकृति के आधार पर हीं अंकित की जाती है जिसके कारण प्राप्त निविदा में कार्य का दर परिमाण विपत्र के दर से 10 प्रतिशत अधिक प्राप्त हो रही है । इसमें क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृति में व्यवधान हो रहा है और विभाग को स्वीकृति हेतु निविदा के कागजातों को भेज दिया जाता है जिसके फलस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब की संभावना बन जाती है । क्षेत्रीय स्तर की यह कार्रवाई अनावश्यक समय की बर्बादी एवं निविदा निस्तार में शिथिलता के रूप में पायी जा रही है । अतः निविदा प्रकाशन के पूर्व परिमाण विपत्र तैयार करने के क्रम में वही दर का प्रावधान रखा जाय जो योजनाओं के तकनीकी स्वीकृति देते समय मदों का दर अद्यतन प्रचलित अनुसूचित दर पर आधारित हो ताकि संवेदक को अपना दर कोट करते समय

37

विभागीय दर की सही जानकारी हो सके और अधिक दर प्राप्त होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके ।

4. क्षेत्रीय स्तर पर 3.5 करोड़ की राशि से अधिक की निविदा में प्रायः प्री बीड डिस्कशन का प्रावधान अंकित नहीं किया जाता है और न ही इसकी सूचना निविदा प्रकाशन/प्रपत्र में हीं रहता है । इसके कारण निविदाकारों की पृच्छा का निराकरण नहीं हो पाता है । इसलिए इतनी लागत की निविदा में स्टैण्डर्ड बीड डकुमेन्ट के अनुरूप परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि, निविदा सूचना के प्रकाशन से लेकर निविदा प्राप्ति की तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक हीं रखा जाय और परिमाण विपत्र बिक्री के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के ठीक अगले दिन प्री बीड डिस्कशन आयोजित किया जाय ताकि परिमाण विपत्र क्रय करने वाले निविदाकारों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और उनके द्वारा किये गये पृच्छाओं के समाधान के लिए समय भी प्राप्त हो सके । प्री डिस्कशन का आयोजन निविदा स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार के स्तर पर किया जाय और इसकी सूचना निविदा सूचना में भी तिथि सहित प्रकाशित करायी जाय ।

अतः निदेशानुसार क्षेत्रीय स्तर पर प्रकाशित हो रहे निविदाओं में उपर्युक्त विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके साथ ही निविदा से संबंधित सभी अन्य बिन्दुओं पर बिहार लोक निर्माण संहिता, स्टैन्डर्ड बीड डकुमेन्ट, बिहार वित्त(संशोधन) नियमावली एवं समय–समय पर सरकार/विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया जाय ।

विश्वासभाजन

16/1/08

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

ज्ञापांक – 76 पटना, दिनांक– 17/1/08

प्रतिलिपि – सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव,